न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 143 / 2020

उनवान

सज्जन कुरेशी पुत्र सत्तार जाति मुसलमान निवासी रामसर, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– प्रतिवादी :– जरियें राज0 पैरोकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 30.6.22

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर की निम्न आराजी वादी की आवंटनशुदा है :–

वर्किंग जमाबंदी		हाल जमाबंदी	
6938	81–00–00 में से 10–0–00	9131	0.57
		9177	5.69
		9178	12.81

उक्त आराजी के वर्किंग खसरा नम्बर 6938 मिन रकबा 10–00–00, का आवंटन दिनांक 12.08.1975 को वादी के पिता सत्तार पुत्र मोलाबक्ष को किया गया। उक्त आवंटन का वर्किंग जमाबंदी में नामान्तकरण संख्या 1065 दिनांक 08.07.1997 स्वीकार कर गैर खातेदार दर्ज किया गया। आवंटन दिनांक से ही वादी उक्त आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। बंदोबस्त विभाग ने हाल राजस्व रे[illegible] 9177 रकबा 5.69 को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया अतः हाल खस[illegible] 9177 में से 1.60 आराजी का खातेदार वादी को घोषित किया जा[illegible]

वाद पत्र दर्ज रजिस्ट[illegible] प्रतिवादी को [illegible] नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर [illegible] के वर्किंग खस[illegible] 6938 रकबा 81–00–00 में से 10 बीघा के हाल खसरा [illegible] 9177 रकबा 5.69 ब[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...क खाते में दर्ज है। वादी ने गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास ... यह स्पष्ट नही किया है। वर्तमान रेकार्ड में वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज होने से ... खारिज किया जावे।

...रण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1 आया आराजी मुतनाजा वादी के पिता को को विधिवत आवंटित हुयी थी ?
-- वादी

2 आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है ?
-- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व आवंटन के दस्तावेज पेश किये तथा वादी सज्जन पुत्र सत्तार के बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार

दिनांक 8.8.75 को ग्राम रामसर में वर्किंग खसरा नम्बर 6938 रकबा 10–00–00 का आवंटन वादी के पिता को किया गया। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आवंटन का नोट भी तत्समय अंकित किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2055 से 58 के कालम संख्या 5 में भी वंर्किग खसरा नम्बर 6938 के आगे वादी के पिता का नाम अंकित है। वादी के पिता के साथ वंर्किग खसरा नम्बर 6938 रकबा 10 बीघा अन्य व्यक्ति मदनलाल पुत्र कल्याण को भी आवंटित हुयी थी। जिसका अंकन भी वर्किंग जमाबंदी व खसरा गिरदावरी में है। मदनलाल को उक्त भूमि का आवंटन होने के बाद नामान्तकरण संख्या 1064 स्वीकृत किया गया है। जिसकी प्रमाणित प्रति वादी द्वारा पेश की गयी है। वादी का कथन है कि वादी के पिता के नाम भी उक्त आवंटित भूमि का नामान्तकरण दर्ज किया गया था किन्तु उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही होने के कारण पेश नही की गयी है। वादी द्वारा उसके पिता को आवंटित हुयी भूमि का नामान्तकरण भी छाया प्रति पेश की है जिसमें पूरा नामान्तकरण नही है। उक्तानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन वादी के पिता को हुआ है। वादी को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। तनकी संख्या 1 बहक वादी सिद्व होती है।

तनकी संख्या 2 :– तनकी संख्या 1 के [illegible] अनुसार [illegible] भूमि का आवंटन वादी का विधिवत किया गया । वंर्किग जमाबंदी में उक्त आरा[illegible] के [illegible]न का अमल दरामद नामान्तकरण द्वारा नही किये जा कर सीधे ही आवंटन की नो[illegible] अंकित करने से बदोबस्त विभाग द्वारा उक्त नोट को हाल राजस्व अभिलेख में अमल [illegible] नही किया गया जिस कारण हाल राजस्व अभिलेख में आराजी [illegible] दर्ज है। किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा तत्समय नामानतकरण दर्ज नही कर नोट अंकित करने की त्रुटि हेतु वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नही है। वादी को उक्त आराजी का विधिवत आवंटन हुआ था जो वादी द्वारा समस्त दस्तावेज व साक्ष्य से सिद्व होता है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में यह स्पष्ट किया है कि आराजी मुतनाजा हाल राजस्व अभिलेख में किस कारण से वादी के नाम दर्ज नही की गयी। वादग्रस्त आराजी हाल राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज होने के कारण वादी का वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता है जबकि उसके द्वारा उक्त आराजी के आवंटन के समस्त वांछित दस्तावेज न्यायालय में पेश किये है। पत्रावली में ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नही है जिसके आधार पर बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज नही की है। वादी को उक्त आराजी के आवंटन को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने अथवा आवंटन निरस्त बाबत कोई दस्तावेज राज0 पैरोकार ने प्रस्तुत नही किया है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि भूमि का आवंटन होने के बाद जब तक किसी न्यायालय द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त नही किया जाता तब तक आवंटन वैध होता है चाहे उक्त आवंटन की राजस्व अभिलेख में पालना की गयी हो अथवा नही। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। आराजी मुतनाजा वंर्किग खसरा नम्बर 6938 रकबा 81–00–00 के हाल चखसरा नम्बर 9131 रकबा 0.57, 9177 रकबा 5.69 व 9178 रकबा 12 81 बने है। उक्त तीनो खसरा नम्बर हाल राजस्व अभिसालेख में सिवायचक खाते में दर्ज है। वादी ने दौराने बहस कथन किया है कि उक्त तीनो खसरा नम्बर में से उसका कब्जा हाल खसरा नम्बर 9177 रकबा 1.60 पर है अतः उसे उक्त खसरा नम्बर पर खातेदारी दिये जावे। किन्तु वादी को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार पूर्व राजस्व अभिलेख में प्रदान नही किये गये थे साथ ही वादी के आवंटन की पालना भी विधिवत तरीके से वंर्किग जमाबंदी में नही की गयी ऐसी स्थिति में वादी इन्द्राज दुरूस्ती में गैर खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। तनकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 9177 रकबा 1.60 पर वादी का वाद इस आशय से"**स्वीकार**" किया जाता है। कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:09 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

सज्जन कुरैशी बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत – 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 143/2020
पेश करने की दिनांक – 9.12.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 9177 रकबा 1.60 पर वादी का वाद इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है। कि वादी को उक्त आराजी का गैर खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वय वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 06 सन् 2022 को जारी की गयी।

मुददई

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
मेहनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
बावत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मुदायला

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बावत् इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.07 10:40:09 IST
Reason: SelfAttested